संख्या 1649/XXIV-3/07/02(87)06

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3 देहरादून दिनांक 21 नवम्बर, 2007

विषय: स्पेशल कम्पोनेट प्लान के अन्तर्गत चालू वृहद्व निर्माण कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 30136/5(ख) 1/म0नि0/1/2007-08 दिनांक 07 अगस्त, 2007 एवं पत्र सं0 5(ख) 1/41033/एस0सी0सी0/2007-08 दिनांक 16 अक्टूबर, 2007 के संबंध में तथा शासनादेश सं0 452/XXIV-3/06/02(87) 06, दिनांक 01 दिसम्बर,2006 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय स्पेशल कम्पोनेट प्लान (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज,नन्दासैण, चमोली के भवन निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रू0 91.43 लाख के सापेक्ष पूर्व में स्वीकृति धनराशि रू0 40.00 लाख को समायोजित करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में रू0 26.43 लाख (रूपये छब्बीस लाख तिरालिस हजार मात्र) की धनराशि को शासनादेश संख्या 1010/XXIV-3/2007/02(20)07 दिनांक 03 अगस्त, 2007 द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत आपके निवर्तन पर रखी गयी धनरशि रू0 1500.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) उल्लिखित विद्यालय अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/वार्डो में स्थित होने पर ही धनराशि को व्यय किया जायेगा।

(2) आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(3) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(4) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(5) एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाय। कार्यो को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नही किया जायेगा।

(6) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मद्द-नजर एव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
(7) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाति निरीक्षण उच्च अधिकारियो एव भूगर्भवेत्ता से अवश्य कर लें। निरीक्षण के उपरान्त स्थल पर आवश्यकतानुसार एवं प्राप्त निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
(8) आगणन मे जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाय।
(9) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग मे लाया जाय।
(10) यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृति धनराशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।
(11) मुख्य सचिव,उत्तराखंड के शासनादेश सं0 2047/XIV–219 (2006) दिनाक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
(12) निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

2 उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहाँ आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारुप पर यथा समय शासन एवं महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा मे अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3 इस संबंध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में आय–व्ययक मे अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय –01– सामान्य शिक्षा–202–माध्यमिक शिक्षा –आयोजनागत–02–अ0सू0जा0बाहुल्य क्षेत्रों में रा0इ0का0 कालेजों के भवनहीन भवनों का निर्माण –24 –वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 636 (पी0)/वित्त(व्यय नियत्रण) अनुभाग–3/2007 दिनाक 05.11.2007 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव।

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी,चमोली।
8. कोषाधिकारी, चमोली।
9. जिला शिक्षा अधिकारी,चमोली।
10. वित्त अनुभाग–3 / नियोजन प्रकोष्ठ।
11. बजट,राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
12. सम्बंधित निर्माण एजेन्सी।
13. कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)
14. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)

उप सचिव